203

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी प्रकरण क्रमांक सन् २०१२

जगतसिंह ठाकुर तनय श्री मानसिंह ठाकुर निवासी ग्राम गठेवरा तहसील व जिला छतरपुर म०प्र० ---------------- आवेदक

बनाम

१-शंकर पटेल तनय श्री प्यारेलाल पटेल निवासी ग्राम बृजपुरा तहसील व जिला छतरपुर म०प्र०

२- शासन म०प्र० ------- ------- अनावेदकगण

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता संशोधन 2011 के तहत निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक २८-६-१२ प्रकरण क्रमांक १२१।अ-१२। २०११-१२ कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म०प्र० ।

R-4262-II/12

श्री ... द्वारा आज दि. 17-12-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

आवेदक सादर निम्नलिखित निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

१- यह कि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं० १५३४ स्थित ग्राम गठेवरा तहसील व जिला छतरपुर म०प्र० में स्थित है। आवेदक अपने स्वत्व व आधिपत्य का उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है। खसरा नं० १५३४ का रकबा ३-०८४ हेक्टेयर है एवं राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नं० एवं रकबा पृथक से चिन्हित कर दर्शाया गया है।

२- यह कि अनावेदक द्वारा भूमि खसरा नं० १५३१।१ रकबा ४-०४० हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर १५३२ रकबा ३-५४१ हेक्टेयर स्थित ग्राम गठेवरा तहसील व जिला छतरपुर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय एवं राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अनावेदक के खसरा नम्बर १५३१।१, १५३२ का सीमांकन किये जाते समय आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं० १५३४ का रकबा अनावेदक के उक्त नम्बरों में सम्मिलित कर नाप किया गया है जिसके विरूद्ध सादर निम्नलिखित कारणों पर उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है :-

(२)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4262–।।/12 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –08–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता एम.पी. भटनागर उपस्थित अनावेदक क्र. 1 की ओर से मुकेश भार्गव अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक क्र 2 शासन की ओर से बी.एन. त्यागी अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर के प्र. क्र. 121/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28.6.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि भूमि ख.नं. 1534 का वह अभिलिखित भूमिस्वामी है। अनावेदक ने अपने स्वत्व की भूमि ख.नं. 1483/1 एवं 1532 की भूमियों का सीमांकन कराने हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन दिया था जिस पर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कार्यवाही से पूर्व पड़ोसी काश्तकार आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्र.क्र. 121/अ–12/11–12 दर्ज कर दिनांक 24.6.12 को सीमांकन कर पारित आदेश दिनांक 28.6.2012 द्वारा सीमांकन की पुष्टि की है उक्त सीमांकन से आवेदक के स्वत्व की भूमि प्रभावित हुई है इस कारण उक्त सीमांकन त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	28.6.2012 निरस्त करने का अनुरोध किया है। 3– अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि उसके द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने बावत विधिवत तहसील न्यायालय में आवेदन किया था जिस पर से प्रकरण दर्ज कर विधिवत सूचना सरहदी कृषकों को दी गई थी आवेदक ने सूचना पत्र पढ़कर लेने से इंकार किया था। आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी इसी कारण आवेदक द्वारा दिनांक 02.07.2012 को प्रस्तुत आपत्ति में सीमांकन दिनांक 24.06.2012 को किये जाने की जानकारी दिनांक 26.06.2012 को लग सकी अपनी आपत्ति में लेख किया है इस प्रकार आवेदक द्वारा सीमांकन की जानकारी न होना गलत बताया है। आवेदक पड़ोसी काश्तकार भी नहीं है उसकी भूमि अनावेदक की भूमि से काफी दूर है इस कारण आवेदक सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित नहीं हुआ है। अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2012 स्थिर रखते हुये निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4– अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही से पूर्व सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना दी है आवेदक को भी सूचना दी गई थी सूचना पत्र	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4262–।।/12 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पर स्पष्ट लेख किया है कि आवेदक जगत्त सिंह द्वारा नोटिस पढ़कर लेने से इंकार किया है सीमांकन कार्यवाही की जानकारी आवेदक को थी इस बात की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 02.07.2012 से हो जाती है जिसमें लेख किया है कि उसे सीमांकन कार्यवाही दिनांक 24.6.12 की जानकारी दिनांक 26.6.12 को हुई। इस प्रकार उसके द्वारा आपत्ति भी पेश की गई थी जिसमें वह अपना पक्ष प्रमाणित नहीं कर सका कि वह किये गये सीमांकन से किस प्रकार प्रभावित हुआ है संलग्न नक्शे से यह भी प्रमाणित है कि ख.नं. 1534 अनावेदक की भूमि से काफी दूर है उक्त भूमि अनावेदक की भूमि से लगी हुई नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक इस न्यायालय के समक्ष भी यह प्रमाणित नहीं कर सका कि उसके स्वत्व की भूमि का कितना रकवा कम कर दिया अथवा उक्त सीमांकन से वह किस प्रकार प्रभावित हुआ है। परिणामतः पारित आदेश दिनांक 28.6.2012 में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचना के अनुकम में प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है एवं राजस्व निरीक्षण मण्डल छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2012 स्थिर रखा जाता है। सदस्य	